

# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-44/2007-IV

/कृ०, पटना, दिनांक

,2014.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री अमित चक्रवर्ती,  
मेसर्स इन्डोफिल इण्डस्ट्रीज लि०,  
शीतला माता मन्दिर रोड, नियर लक्ष्मी नगर,  
मेन रोड, अगमकुआँ पटना-800007

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-169-170 दिनांक 27.06.2008 वैद्यता तिथि 31.12.2015 में इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नांकित कम्पनियों के कीटनाशियों का इन्डोर्समेन्ट अनुज्ञप्ति संख्या-169-170 दिनांक 27.06.2008 वैद्यता तिथि 31.12.2015 तक में किया जाता है।

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	क्र० सं०	कीटनाशी का नाम	वैद्यता तिथि
1	मेसर्स इन्डोफिल इण्डस्ट्रीज लि०,	1	Dinotefuran 20% SG	31-12-2015
2	मेसर्स मॉडन पेपर	2	Buprofezin 25% SC	31-12-2015
3	मेसर्स इन्सेक्टिसाइड इण्डिया लि०,	3	Lambda Cyhalothrin 4.9% CS	31-12-2014
		4	Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG	31-12-2014
4	मेसर्स बी० ए० एस० एफ०	5	Imazethapyr 10% SL	31-12-2015
		6	Imazamon 35%+Imazethapyr 35% WG	31-12-2015
		7	Metiram 55%+Pyraclostrabin 5% WG	31-12-2015
5	मेसर्स एग्रो लाइफ साइन्स लि०	8	Emamectin Banzoate 5% SG	31-12-2015
6	मेसर्स जी० एस० पी० क्रॉप साइन्स लि०	9	Diafenthiuron 50% WP	31-12-2014
7	मेसर्स बी० आर० एग्रोटेक लि०	10	Lambda Cyhalothrin 5% EC	31-12-2014
		11	Alpha cypermethrin 10% EC	31-12-2014
		12	Thiamethoxam 25% WG	31-12-2014
		13	Imidacloprid 17.8% SL	31-12-2014
		14	Fepronil 0.3% GR	31-12-2014
		15	Pretilachlor 50% EC	31-12-2014
		16	Imidacloprid 30.5% SC	31-12-2014
		17	Fipronil 5% SC	31-12-2014
		18	Metribuzin 70% WP	31-12-2014

2-उपरोक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:-मेसर्स इन्डोफिल इण्डस्ट्रीज लि०, C/O जगनाथ कुमार, रसीदा चक, छोटी पहाड़ी, अगमकुआँ, पटना-7

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किये जाने आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5541

/कृ0, पटना, दिनांक .....08-12, 2014

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



कृषि निदेशक, बिहार, पटना।